(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 934–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार सनावद जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 45/अ–6/2015–16.

.....

1–ओमप्रकाश पिता श्री बृजमोहन मिश्रा,
निवासी कुण्डलेश्वर वार्ड खण्डवा म0प्र0
2–जुगलकिशोर पिता श्री बाबूलाल जायसवाल
निवासी रमा कॉलोनी खण्डवा म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामकिशन पिता श्री रामनिवास चोखड़ा (सं.हि.प.)
2–श्रीमती संगीतादेवी पति शैलेन्द्र चोखड़ा
3–शैलेन्द्र पिता श्यामसुन्दर चोखड़ा (सं.हि.प.)
4–ओमप्रकाश पिता रामनिवास चोखड़ा (सं.हि.प.)
सभी निवासी सनावद तहसील व जिला खरगोन
5–कमलाबाई पति गोकुल राठौड़
निवासी सनावद तहसील व जिला खरगोन
6–श्रीमती अनुसुईया पति दुर्गाशंकर राठौड
निवासी गोगांवा जिला खरगोन
7–श्रीमती उमाबाई पति गेंदालाल
निवासी उमरखेली जिला खरगोन
8–जुगल पिता गेंदालाल
9–संतोष पिता गेंदालाल मृत तर्फे वारिस :–
अ–श्रीमती सुशीला बाई पति संतोष
निवासी बेडिया तहसील बडवाह जिला खरगोन
ब–पंकज पिता संतोष
निवासी बेडिया तहसील बडवाह जिला खरगोन
10–अशोक पिता गेंदालाल
निवास बेडिया तहसील बडवाह जिला खरगोन
11–गजानंद पिता हीरालाल
निवासी कानापुर तहसील सनावद जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक– अनावेदक 1 लगायत 4 एवं 7 लगायत 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सनावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार तहसील सनावद जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमियॉ पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–6/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 एवं संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–3–17 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सद्भाविक केता होकर हितबद्ध पक्षकार है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जो कि पक्षकार नहीं बनाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित राजीनामा डिक्री आदेश में आवेदकगण पक्षकार नहीं होने के बावजूद उनके आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदकगण की द्वितीय अपील ग्राह्य किये जाने का तथ्य संज्ञान में आने के बावजूद आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 22–2–17 को समझे बिना आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है क्योंकि उक्त आदेश से अनावेदकगण को नामान्तरण कार्यवाही आगे बढाने की अनुमति दी गई थी । आवेदकगण को नामान्तरण प्रकरण में भाग लेने से निषेधित नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील कमांक 138/2012 में पारित आदेश दिनांक 22–2–17 कर नामान्तरण कार्यवाही को आगे बढाये जाने और द्वितीय अपील के अंतिम आदेशानुसार प्रकरण का अंतिम निराकरण होना आदेशित किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही प्रथम अपील प्रकरण कमांक 402/1999 में दिनांक 6–11–2003 को यह निष्कर्ष दिया जा चुका है कि विकेता स्वर्गीय घीसा की विधिक पत्नी नहीं होने से उसे भूमि विकय करने का अधिकार नहीं था ।

(3) अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र अपील प्रकरण कमांक 952/2014 में पारित आदेश दिनांक 31–8–2016 के प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हो गई है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है ।

(4) आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित नामान्तरण प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने

में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि उनके विरूद्ध डिक्री पारित हुई है और आवेदकगण द्वारा उक्त डिक्री के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश बडवाह जिला खरगोन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14–11–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31–8–2016 को अेनावेदकगण के पक्ष में डिक्री पारित की गई है । अतः स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार नहीं है इसलिये उनको पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः बैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये उनके आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सनावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर